

“सीमा के विषय पर चर्चा” कार्यक्रम में
माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चन्द कटारिया का सम्बोधन

दिनांक 07 जुलाई 2023, शुक्रवार

समय : 11:00 AM

स्थान : ज्योति चित्रबन ऑडिटोरियम, काहिलीपाड़ा

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉर्डर स्टडीज (NIBS) के चेयरमैन एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री प्रदीप कुमार जी,
- असम उच्च शिक्षा माध्यमिक परिषद (AHSEC) के चेयरमैन डॉ. रुकमा गोहाई बरुआ जी,
- इन्वेस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डेस्क की प्रमुख डॉ. गीतिमा दास कृष्णा जी,
- के.के. हैंडिक सरकारी संस्कृत कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. बिनिता भागवती जी,
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉर्डर स्टडीज (NIBS) के सदस्यों
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सम्मानित शिक्षकों
- तथा उपस्थित अतिथिगण,
- देवियों एवं सज्जनों,

आज हम यहां एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। यह विषय है देश की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा का। ज्योति चित्रबन प्रेक्षागृह के आनंद भरे माहौल में “सीमा के विषय पर चर्चा” कार्यक्रम का हिस्सा बन कर मुझे काफी खुशी हो रही है। शैक्षणिक जागरूकता की दृष्टि से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है।

मित्रों,

सीमा एक ज्यामितीय विभाजक रेखा है, जो किसी राज्य या देश के सर्वभौमिकता एवं उसके वास्तविक अधिकार क्षेत्र को सीमांकित करती है। सीमाएं देशों एवं राज्यों की प्रमुख विशेषता होती हैं।

किसी राष्ट्र व राज्य की सीमा बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस विषय पर जागरूकता बहुत आवश्यक है, फिर चाहे वह शैक्षणिक स्तर पर हो या राजनीतिज्ञ स्तर पर। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में देश एवं राज्यों की सीमाओं और

इससे संबंधित विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और अन्य शिक्षाविदों के साथ सीमा के विषय पर चर्चा करना सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉर्डर स्टडीज (NIBS) की प्रशंसा करता हूँ।

मुझे बताया गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉर्डर स्टडीज (NIBS) सीमांत चेतना मंच पूर्वोत्तर के अंतर्गत एक गैर-राजनीतिक संस्था है, जो सामाजिक उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन और शोध करती है।

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्रों तथा इससे संबंधित विवादों एवं अन्य विषयों के बारे में शैक्षणिक जागरूकता फैलाना है, जो मैं समझता हूँ एक सराहनीय और आवश्यक कार्य है। सीमा क्षेत्रों में शोध कार्य, सर्वेक्षण और सेमिनारों के आयोजन से सरकार को सीमा नीति बनाने और संभवतः सीमा विवाद को खत्म में मदद मिलती है।

हिमालय की तलहटी से लेकर मलेशियाई प्रायद्वीप के सिरे तक फैला भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र आठ राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से सुशोभित है। यह एक वास्तविक सीमांत क्षेत्र है। इसकी भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और यह 22 किमी चौड़े एक संकीर्ण गलियारे द्वारा शेष भारत से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा है। इस क्षेत्र की सीमाएं, भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता उत्तर पूर्व को उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों से काफी अलग बनाती है।

असम पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जो लगभग 30,285 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह राज्य बांग्लादेश और भूटान के साथ लगभग 533.3 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

असम के आठ जिले धुबड़ी, दक्षिण सालमारा-मनकाचर, करीमगंज और कछार बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ साझा करते हैं, जबकि कोकराझाड़, चिरांग, बाक्सा और उदलगुड़ी की सीमा भूटान से लगती है।

इसके अलावा, यह राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ 2741.3 किलोमीटर लंबी अंतर-राज्यीय सीमाएँ साझा करता है। ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा और अंतर्राज्यीय सीमाओं का प्रबंधन कर असम के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अन्य देशों से निकटता कई समस्याएँ भी पैदा करती है। जातीय तनाव के कारण क्षेत्र में सीमा विवाद काफी जटिल है। कई बार जातीय तनाव और सीमा विवाद के कारण हिंसा की आग भी भड़क जाती है।

पूर्वोत्तर का अनोखा इतिहास और राज्य-गठन भी विवादों की जटिलता बढ़ाने का काम करते हैं। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कभी भी एक अभिन्न अंग के रूप में शासन नहीं किया, बल्कि इसे एक सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में माना। इसलिए सीमा विवाद भी काफी हद तक औपनिवेशिक विरासत हैं।

अंग्रेज पूर्वोत्तर सीमा को भारत और चीन के मध्यवर्ती के रूप में देखते थे। वे ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि बर्मा भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। 1935 में जब बर्मा भारत से अलग हुआ तब भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि, 1947 में आज़ादी के बाद, भारत को एक ऐसा क्षेत्र विरासत में मिला जो तब तक बड़े पैमाने पर सीमा क्षेत्र के रूप में शासित होता था।

शेष भारत की तरह पूर्वोत्तर भारत को भी अपना वर्तमान आकार लेने में दशकों लग गए। 1950 में जब संविधान अस्तित्व में आया, तो असम पूर्वोत्तर में एकमात्र पूर्ण राज्य था। उस समय मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश (यूटीएस) थे।

1963 में नागालैंड को असम से अलग कर पूर्ण राज्य बनाया गया। मेघालय को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश 1987 में पूर्ण राज्य बन गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ, मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम को भारत में एकीकृत किया गया, जब वहां के लोगों ने एक जनमत संग्रह कर भारत में शामिल होने का फैसला किया। इससे पहले यह एक अलग देश और एक भारतीय संरक्षित राज्य था।

अतीत को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जब से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे “अष्टलक्ष्मी” की संज्ञा दी है। पूर्वोत्तर की पहचान भारत के विकास के नए “इंजन” के रूप में की गई है।

वर्तमान भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पूर्वोत्तर राज्यों का पूर्ण कायापलट करना है। निर्बाध कनेक्टिविटी, तेज बुनियादी ढांचे का विकास, शांति, स्थिरता और समावेशन उन परिवर्तनों की पहचान रहे हैं, जो इन राज्यों ने 2014 के बाद से देखे हैं।

वास्तव में, पिछले नौ वर्षों में इस क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, उससे आश्चर्य होता है कि इसे सात दशकों से अधिक समय तक क्यों रोक कर रखा गया था। इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार विशेष रूप से परेशान करने वाला था, क्योंकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस क्षेत्र का प्राचीन काल से भारत के साथ गहरा संबंध रहा है।

पिछले नौ वर्षों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाईअड्डों की संख्या नौ से बढ़कर 16 हो गई है, और उड़ानों की संख्या लगभग 900 से बढ़कर लगभग 1900 हो गई है।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हाल ही में डिब्रूगढ़ से जल यातायात की शुरुआत की गई है। 2014 के बाद से इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 50 प्रतिशत बढ़ गई है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के लंबित सीमा विवादों को भी सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा रहा है।

यह वास्तव में खुशी की बात है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉर्डर स्टडीज (NIBS) के “सीमा के विषय पर चर्चा” विषय पर एक शैक्षणिक चर्चा का आयोजन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर विचार-विमर्श से सीमा मुद्दे की संपूर्ण गतिशीलता सामने आएगी। यह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े विभिन्न अवसरों के बारे में अधिक शैक्षणिक जागरूकता भी पैदा करेगा।

मैं इस चर्चा के आयोजन के लिए आयोजक को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि चर्चा से सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के तेजी से विकास के लिए लाभकारी नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

धन्यवाद !

जय हिन्द !